

①

संख्या- 634 /एक-10-2024-33(46)/2018

प्रेमक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ० प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 15/04/2024

विषय- उ० प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित बजट के वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)में प्राविधानित धनराशि रु० 550.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में रु० 91.66 लाख तथा लेखाशीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रु० 268.28 लाख सहित कुल रूपये **359.94 लाख (रु० तीन करोड़ उनसठ लाख चौरनवे हजार मात्र)** की धनराशि उ० प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के वेतन एवं गैर वेतन मद हेतु वित्तीय स्वीकृति देते हुये निम्न विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ० प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र०	मद	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित बजट	प्रथम किश्त हेतु आवंटित/ स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	गैर वेतन मद 2245-80-800-06-00-20	550.00	91.66
2	वेतन मद 2245-80-800-06-00-31	268.28	268.28
	योग	818.28	359.94
(रु० तीन करोड़ उनसठ लाख चौरनवे हजार मात्र)			

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
- (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(3) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 91.66 लाख (रुपये इक्यानवे लाख छ्याछठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 के अन्तर्गत 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा रू0 268.28 लाख (रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख अट्ठाइस हजार मात्र) लेखाशीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231-/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
Date: 15-03-2024 12:58
Reason: Approved

संख्या- 634(1) /एक-10-2024-33(46)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (प्रथम)/आडिट प्रथम, उ0 प्र0, प्रयागराज।
- 2- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0 प्र0। ✓
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन।
- 5- वित्त नियंत्रक, उ0 प्र0, राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 9- गार्ड फाइल।

भवदीय,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-01/05/2024

प्रेषण संख्या:- 634
आवंटन आदेश संख्या:- 001-634
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
06 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	9166000 9166000	26828000 26828000	35994000 35994000
	योग	वर्तमान प्रगामी	9166000 9166000	26828000 26828000	35994000 35994000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ उनसठ लाख चौरानवे हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ उनसठ लाख चौरानवे हजार

(रजनी कान्त वर्मा)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
सहज आमुक्त विभाग
संलग्न संलग्न